कार्यालय सहायक सह - डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद को भरें जाने हेतु सामान्य निर्देश

न्यूनतम अर्हतायें-

1. कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
2. 01 वर्ष का यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर का डिप्लोमा।
3. न्यूनतम तकनीकी योग्यता (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा का स्कोर कार्ड (नोट–विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक तक का VALID स्कोर कार्ड मान्य किया जावेगा)।
4. आवेदक म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए।
5. आवेदक की आयु 01.01.2019 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक।
   (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को पाँच वर्ष की अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी।)
   (नोटः–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 05 वर्ष की छूट नियत हैं।)

अनुभवः-

1. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्यों का हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता।
2. डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी।
3. दस्तावेजों की स्केनिंग।
4. एम.एस. ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्ट्वेयर में कार्य करने का 03 साल का अनुभव।

1. **<u>ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि</u> :– 11/02/2019**

2. **<u>मूल निवासी प्रमाण पत्रः–</u>**

उपरोक्त पद मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिये है। अतः आवेदक के चयन की स्थिति में नियुक्ति के पूर्व म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा चयन अमान्य किया जायेगा।

3. **<u>चयन प्रकिया का आधार :–</u>**

1. प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों को को सी.पी.सी.टी स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। सी.पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अग्रेंजी) स्पीड का होता हैं। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो।
2. यदि दो या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होगें तो हिन्दी टाईपिंग के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।
3. मेरिट में दो आवेदकों को समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी।
4. मेरिट सूची के आधार पर संबंधित आवेदकों को मूल दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु मूल दस्तावेज संबंधी समिति के समक्ष निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत करने होगें।
5. मेरिट सूची तैयार कर www.rajgarh.nic.in पर प्रकाशित कर दावें आपत्ति प्राप्त किये जायेगें।
6. मेरिट सूची के आधार पर मूल दस्तावेजों के सही प्रमाणीकरण के उपरांत अंतरिम सूची जिला कार्यालय द्वारा तैयार कर राजगढ़ की वेबसाईट www.rajgarh.nic.in पर अपलोड की जायेगी।

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्ते

संविदा अवधि

1. संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी।
2. 01.01.2019 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक। (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जायगी।)
3. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

मानदेय/पारिश्रमिक

4. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन 22,770/–(बाइस हजार सात सौ सत्तर रूपये मात्र) देय होगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।
6. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

अवकाश :-

7. संविदा पर कार्यरतों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाशए 15 दिन का अर्जित अवकाश तथा 10 दिन का लघुकृत अवकाश की पात्रता होगी तथा कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएगे। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को 90 दिवस का प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधो के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए अवकाश नियमों में निर्धारित है।

ई.पी.एफ. कटौत्रा

8. ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

अन्य -

9. इस संविदा के आधार पर नियमितिकरण सम्बंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जाएगा।
10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशील होगी। इस अवधि में यदि नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नही किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जाएगा।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनकों कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सकें। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्याकंन के आधार आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार कि या जाएगा।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे।
13. अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
14. मध्यप्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।
15. संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक एक माह पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।